न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 72/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 पेमाराम पुत्र गेनाजी		खीयाराम पुत्र चतराजी जाति जाट
2 रामाराम पुत्र गेनाजी		निवासी खारी तहसील सायला
3 जुगताराम पुत्र गेनाजी		
4 देदाराम पुत्र गेनाजी		
5 श्रीमति जसोदा पत्नी गेनाजी जातिगण जाट निवासीगण खारी तहसील सायला जिला जालोर		

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री अशोक माली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री शम्भूदान आशिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः– 8.6.18

अपीलांट की ओर यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहत उपखण्ड अधिकारी, सायला के न्यायालय प्रकरण संख्या 10/2013 बअनवान खीयाराम बनाम पेमाराम व अन्य आदेश दिनांक 12.10.2015 के विरुद्ध रेस्पोडेन्ट के पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन मय अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि रेस्पोडेन्ट ने उपखण्ड अणिकारी, सायला के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए के तहत इस आशय का पेश किया कि उनके खातेदारी कृषि भूमि मौजा खारी में स्थित खसरा नम्बर 222, 223 कुल रकबा 8.45 हैक्टयर में आवागमन के लिये अपीलांटगण की खातेदारी ग्राम खारी के वर्तमान खसरा नम्बर 224, 225, 226 कुल रकबा 9.99 हैक्टयर में रास्ता दिलवाये जाने पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार, सायला से मौका रिपोर्ट एवं उपपंजीयक से DLC दर रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को नोटिस जारी किया जिसका जवाब पेश किया। तहसीलदार, सायला ने अपीलांटगण को बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सूचना/ नोटिस दिये मौका फर्द तैयार की जबकि रेस्पोडेन्ट को अपने खातेदारी में जाने हेतु स्वयं की खातेदारी के दक्षिण दिशा में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 215, 216 की खातेदारी स्थित है।, जिसमें वे आने जाने हेतु कदीमी से रास्ते का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अपीलांटगण की खातेदारी भूमि को कम करने एवं हैरान व परेशान के उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट के द्वारा रास्ते की मांग की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच व सुनवाई के तहसीलदार की रिपोर्ट को मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विरुद्ध होने से निरस्त येाग्य है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें ।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम खारी में स्थित खातेदारी भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 222, 223 रकबा 8.45 हैक्टयर में आने जाने हेतु कोई रास्ता नही होने से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत नया रास्ता अपीलांटगण ,की आराजी में खोले जाने हेतु पेश किया गया जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जांच रिपोर्ट तहसीलदार,सायला से तलब किया गया। अपीलांटगण का यह कथन कि रास्ता उपलब्ध है जो कहां व किस दिशा मे खुलता है स्पष्ट नहीं किया। ग्रेवल सडक से निकटता दूरी है। अपील का कोई आधार नहीं है। नियमानुसार राशि जमा करवा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच के विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश पारित किया है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट अधिवक्ता का मुख्य यह कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब पर कोई गौर नहीं किया तथा न ही मौका रिपोर्ट उनके समक्ष की गई जबकि उन्हें स्वयं की वर्तमान खसरा नम्बर 215, 216 की खातेदारी स्थित जिसमें वे आने जाने हेतु कदीमी से रास्ते का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अपीलांटगण की खातेदारी भूमि को कम करने एवं हैरान व परेशान के उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट के द्वारा रास्ते की मांग की है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता का यह तर्क कि अपने खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता नही होने से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नया रास्ता खोले जाने हेतु पेश निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट तलब किया। DLC दर अनुसार राशि जमा करवा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच के विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश पारित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं बहस के बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट DLC दर आदि तलब कर विधिवत जांच कर मौके की स्थिति अनुसार नियमों में दिये गये प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बाद जांच व सुनवाई के आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं पाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सायला के न्यायालय प्रकरण संख्या 10/2013 बअनवान खीयाराम बनाम पेमाराम व अन्य आदेश दिनांक 12.10.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही